केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/114 दिनांक: 09.05.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00105

अपीलकर्ता : श्री अशोक कुमार, पुत्र – श्री श्रीराम,
रिटायर्ड रे0 स्टे0 मास्टर,
मो0 – आदर्शनगर कालोनी, गली नं. 1,
रोजा जं., पो0 – रोजा आर.एस.,
जिला – शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 09.05.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.03.2018 (प्रथम अपील आदेश के साथ)
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.04.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	189/04.05.2018 (127804/03.05.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी के आदेश सं. CIC/AA/A/2018/67 दिनांक 16.03.2018 के साथ श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई संलग्न सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है । प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि प्रदान की सूचना में पत्र सं. ई.आरबी/आरटीआई/2015/010053470 दिनांक 10.07.2017 किस अधिकारी ने लिखा है स्पष्ट नहीं है (उक्त पत्र में किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है) ।

2. श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को बुलाए जाने पर उन्होंने इस संदर्भ में बताया कि द्वितीय अपील सं. CIC/AB/A/2016/000396-AB की स्कैन की हुई फाइल में भी दस्तावेज इसी रूप में हैं जैसा कि अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई गई है । इस संदर्भ में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि रिकार्ड रूम से संबंधित मूल फाइल (आरिजनल फाइल) प्राप्त कर इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में उपलब्ध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

10 MAY 2018

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।